विशेष प्रकाशन सं. 90
ISSN : 0972-2351

मात्स्यिकी और जलकृषि में जीविकोपार्जन मसले

भाकृ अनुप
ICAR

केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)
कोचीन - 682 018

मछुवेरिनों के प्रबलीकरण के बीच में प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का प्रभाव

फेमिना हसन और आर. सत्यदास
केंद्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन - 682 018, केरल

भूमिका

भारतीय आबादी के 65-67% कृषि से तुले हैं। यह उनके मुख्य आय का स्रोत और आजीविका का मार्ग है। लोगों को प्राथमिक तल के कई रोज़गार, कृषि, पशुपालन और मात्स्यिकी से प्राप्त होता है। उदारीकरण नीति की प्रस्तुति और सुधरी प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से कृषि की सभी मेखलाओं के उत्पादन में अभूतपूर्व प्रगति और देश के निर्माण कार्यों में तीव्रगामी परिवर्तन दिखाए जा रहे हैं।

देश के विकास में महिलाओं का योगदान निर्विवाद है। जब उनको ज्यादा अवसर और कार्य क्षेत्र दिया जायेगा तब उनकी कामयाबी अधिकाधिक साबित हो जायेगी। मात्स्यिकी के दोनों प्रग्रहण और प्रग्रहणोत्तर सेक्टर में महिलाओं के सक्रिय योगदान से उनकी प्रधानता मान ली गई है। कृषि के अन्य क्षेत्रों के समान इस क्षेत्र में भी पिछले तीन सालों से द्रुतगामी परिवर्तन दिखाए पड रहे हैं। प्रौद्योगिकियों में हुए परिवर्तन से काम आसान, तेज़, कम चुनैतीपूर्ण और कम आयासहीन हो गए हैं। आम तौर पर मत्स्यन सेक्टर में काम करनेवाली महिलाओं को थकानेवाले काम में दिवस के लंबे समय तक, अर्ह के वेतन पाए बिना काम करना पडती हैं। प्रौद्योगिकियों के परिष्कार से काम का बोझ और समय का नष्ट कम किए जाने के साथ उनको अधिक आमदनी प्रदान कराने के बारे में गंभीरता से सोचना है। मात्स्यिकी में संग्रहणोत्तर मात्स्यिकी सेक्टर में ही महिलाओं की भागीदारी होती है जिन में से अधिक गरीब ग्रामीण महिलाएं हैं जिनकी वजह से उनके द्वारा लिये जानेवाले काम को अनदेखा करते हुए न्यायिक अंगीकार नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सभी मात्स्यिकी विकास कार्यक्रमों में महिलाओं के विकास केलिए उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

भारतीय मात्स्यिकी में महिलाओं की भूमिका

मात्स्यिकी के प्रग्रहणोत्तर सेक्टर में काम करनेवाले 1.2 मिलियन मछुआरों में एक अच्छा भाग महिलाओं का है जिसकी संख्या 0.5 दश लक्ष है (सत्यदास, 1998)। संग्रहणपूर्व कार्यों में महिलाओं का योगदान 25% है, जिस में 60% निर्यात विपणन में और 40% देशी विपणन कार्यों में लगी हुई है। ये अपने घर संभालने में अन्य महिला कर्मियों से होशियार भी हैं। झींगा संसाधन उद्योग में अधिकांश श्रमिक महिलाएं ही हैं। निर्यात से जुडे कामों में भी कट्टलफिश, लॉबस्टर और फिनफिश के संसाधन कार्य में लगी महिलाओं का अनुपात पुरुषों से ऊँचा है। कृषि की अन्य मेखलाओं के विपरीत मात्स्यिकी संसाधन क्षेत्र में नई नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग होता रहता है इन परिवर्तनों को जल्द ही प्रयोग में लने से विपणन साध्य हो जायेगा; जहाँ महिलाएं इन्हें आत्मसात करते हुए काम में अपनी कामयाबी साबित कर रही हैं।

तमिलनाडु की मछुआ महिलाएं परंपरागत रूप से मछली सुखाने का काम आज भी कर रही है। सिवा इसके वे मछली के विपणन, जाल निर्माण, झींगा बीज संग्रहण और नए रूप में शुरू किए गए समुद्री शैवाल संग्रहण में लगी रहती हैं। आंध्रा प्रदेश की मछुवेरिनें भी मछली के विविध उपचार, विपणन, श्रिंप संसाधन और जालनिर्माण करने के अलावा मछली और मोलस्कों के कवचों के संग्रहण करने में लगी रहती है। पश्चिम बंगाल में मछुवेरिनों के अलावा अन्य समुदाय की महिलाएं भी मछली के उपचार (क्यूरिंग व ड्राईंग) कार्यों में लगी रहती हैं। महाराष्ट्र की मछुवेरिने मूलतः विपणन कार्य करती हैं जबकि गुजरात में संसाधन कार्यों में इनका योगदान ज्यादा होता है। लक्षद्वीप में विशेषकर मिनिकॉय द्वीप में मछली उत्पादों के निर्माण में मूलतः महिलाएं ही लगी रहती है। फिर भी यह देखने में आया कि प्रौद्योगिकियों और निर्माण कार्यों में हाल में हुए परिवर्तन से मछली के उपचार, व्यापार और जाल निर्माण में लगी रही महिलाओं के एक अच्छा भाग इन कामों को छोडने लगी है (सत्यदास 2005)।

समुद्री सेक्टर में महिलाओं का परोक्ष योगदान

मछुआरा कुटुम्बों में घर संभालने का कार्य महिलाओं का होता है। आहार, बच्चों का परिपालन, स्वास्थ्य, सफाई, ऋण लेने व चुकाने सहित सारे वित्तीय कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। मछली न पकडे जाने वाले मौसमों में उनका बोझ और भी बढ जाता है। यंत्रीकरण के फलस्वरूप मत्स्यन केलिए जानेवाले पुरुष दिनों के बाद घर वापस आने पर पूरा घर-संभाल का कार्य भी उन्हें अकेला ही करना पडता है।

समुद्र से पकड मिल सकती है और कभी नहीं भी, ऐसी अनिश्चितता और जीविका दर में निरंतर होनेवाली बढती ने मछुआरों को अन्य रोज़गारों की ओर मुडने दिया। जलकृषि मछली पकड से अधिक मुनाफेदार होने पर मछुआरे इसे अपनाने लगे हैं। ऐसे कुछ छोटे-छोटे उद्यम मछुआ महिलाएं अपनाई जा सकती हैं, इसकेलिए आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कुछ सरल तकनॉलजियों पर उनको दक्षता, जानकारी और मार्गदर्शन दिए जाने चाहिए।

मछेरिनों की समस्याएं

महिलाओं को बहुमुखी कार्य और दायित्व निभाना पड़ता हैं। काम की खोज में पुरुष घर से दूर जाने पर पूरा घरबार संभालना पडता है। वे आम तौर पर लघु उद्यमों में काम करती है जिस से आमदनी भी कम मिल हो जाती है।

महिलाओं द्वारा सामना करनेवाली समस्याओं की सूचना पहले (सत्यदास आदी, 2003) ने इकट्ठा की है। इस लंबी सूची में यात्रा करने की दिक्कत, कम साक्षरता, सूचनाएं और प्रशिक्षण पाने के तकलीफ़, महिला संघों का अभाव, कर्ज में पैसा मिलने का अभाव, विपणन केलिए बाज़ारों का अभाव, परिवहन से जुडे प्रश्न, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रश्न, महिलाओं के विचार पूछे बिना निर्णय लेने की रीति, प्रदूषण समस्याएं, नये संसाधन तकनीकों पर बेजानकारी, काम के बोझ से होनेवाले रोग, अपने काम में दक्षता प्राप्त करने संबंधी समस्याएं, वर्द्धित काम से बाव, पश्चजलों को भूमि में उद्धार करने से आजीविका की रोक आदि आदि समस्याएं दिखाई गई है। मछेरिनों को

विपणन कार्य में परिवहन से जुडी समस्याएं ज्यादा झेलनी पडती है क्यों कि वे दूर के बाज़ारों में जाकर अपने माल बिकने में न तो संकोच करती है या घर के पुरुष उसे इस से रोकते भी हैं।

प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का प्रभाव

श्रम कम करनेवाली अधिकांश प्रौद्योगिकियाँ पुरुषों के कार्यक्षेत्र केलिए लाभकारी दिखायी पडती है। यद्यपि मछली पकडने की ऐसी प्रौद्योगिकियों में महिलाओं की भागीदारी कम होती है तथापि यंत्रीकरण से मत्स्यन करने की कालावधि बढ जाने पर प्रग्रहण मात्स्यिकी उनकी सहकारी भूमिका पहले से भी बढ गई है। इन वर्षों में मछली से जुडे श्रमकार्यों में महिलाओं की संख्या बढ गयी है। यह जलकृषि और निर्यात में हुए बढती के कारण है। रोज़गार के स्वभाव में भी व्यतियान आया कि पहले महिलाएं जाल निर्माण में लगी रहती थी तो बाद में संसाधन और विपणन कार्यों में भी अपना कदम रखी गई है। पकड मात्स्यिकी में लगे अपने पुरुषों का अनिश्चित आय, अच्छा जीवन बिताने का मोह आजकल की महिलाओं को मात्स्यकी से जुडे रोज़गारों की ओर आकर्षित करती है।

वाणिज्यक मात्स्यिकी में मत्स्यन जलकृषि और विपणन में पुरुषों का ही अधिकार है। संसाधन कार्यों में महिलाएं आगे हैं। यहाँ महिलाएं संपदाओं का अनुरक्षण, उतार, गुणता-नियंत्रण, वर्गों में छाँट, काट-छाँट, पाकिंग आदि कार्य करती हैं। संसाधन उद्योग में बाज़ार-माँग के अनुसार उन्हें प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन लाया जाना पड़ता है। महिलाएं संसाधन उद्योग में प्रवेश करने पर संग्रहणोत्तर नष्ट में कमी, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिति में बढती आई है। संसाधन उद्योग में काम करनेवाली महिलाएं नई प्रौद्योगिकियाँ अपनाने में होशियार दिखाई पड रही है। यंत्रीकृत सेक्टर में अधिकांश रोज़गार जब पुरुषों द्वारा लिया गया तब महिलाओं को अयंत्रीकृत सेक्टर के श्रमकर कार्य संभालना पडा। यद्यपि यंत्रीकरण ने महिलाओं को कठिन कार्यों से छुटकारा दिया तथापि इस पर निर्भर रखके अतिरिक्त आय कमानेवाली कई महिलाओं के आय का स्रोत रुक गया।

आवश्यक शिक्षा प्रदान करते हुए महिलाओं की कामयाबी और तद्वारा कुटुम्ब के स्वास्थ्य और पोषण प्रबंधन में सुधार लाया जा सकता है। महिलाएं औसतन 16-18 घंटे काम करती है। उनकी ऐसी सक्रियता देश की अर्थव्यवस्था को सख्त बनाने के अलावा परिवारों के निर्माण केलिए सहयोग प्रदान करती है। नई प्रौद्योगिकियों से उनके श्रम कार्य में आसानी और समय लाभ लाया जा सकता है। उन्हें अपनी पसंद की प्रौद्योगिकी का स्वीकरण करने के बारे में निणर्याधिकार देना चाहिए, कुछ अपने आप केलिए और कुछ परिवार केलिए आय कमानेवाली हो सकती है। प्रौद्योगिकियाँ बदलने पर भी नए तकनीक और उपकरण पर निर्णय लेने का अधिकार भी उनका होना चाहिए।

बदले में कुछ मामलों में नई प्रौद्योगिकियों के आविष्कार से लोगों को काम का अवसर नष्ट हो जायेगा ही। नये उपकरणों से श्रम कम हो जाने पर रोज़गार नष्ट हो सकता है। अपने स्वभाव, शिक्षा और मिली जानकारी से कई अवसरों पर महिलाएं नई प्रौद्योगिकियों से दूर रहना चाहती है। परंपरा व संस्कृति सामाजिक व धार्मिक विश्वास व मूल्य, राजनैतिक और आर्थिक घटक महिलाओं को रोज़गार का अवसर कम करनेवाले पुर्जे हैं। समाज में पुरुषों व महिलाओं को अलग-अलग कार्य और दायित्व निर्धारित करने से वे सम अधिकार, वेतन, अवसर और विशेषाधिकारों से वंचित रह जाती है।

निर्णय

वर्धित जीवन व्यय और अणुकुटुम्बों के उद्‌भव से महिलाएं आय कमाने केलिए छोटे कारोबार और व्यापार में लगने लगी है। उनकी माँग के अनुसार के स्थान-निर्दिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जानकारियाँ प्रदान करने पर जलकृषि और संग्रहणोत्तर संसाधन कार्यों में स्वरोजगार पा सकती हैं। आवश्यक प्रौद्योगिकियों के स्वीकरण और उन्नयन केलिए उन्हें निर्णयाधिकार दिया जाना चाहिए। अपनी कामयाबी पर आत्मविश्वास जगाने की तरह की सुधरी प्रौद्योगिकी, शिक्षा-प्रशिक्षण, संपदाओं और सेवाओं का पूर्ण व समतुल्य स्वीकरण-अधिकार जब उन्हें मिल जाएंगे संदेह नहीं तब मछुआ महिलाओं का प्रबलीकरण साध्य हो जायेगा।